मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 17 अगस्त, 2017 को श्री एस॰ रामास्वामी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की 12वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे:–

I. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

II. श्री गंभीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

III. श्री अजय कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

IV. श्री विनोद कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

V. श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव–वित्त, सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।

VI. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव–नियोजन, सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।

VII. श्री सनातन, निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व (प्रतिनिधि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।

VIII. श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, अध्यक्ष–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, देहरादून (शासन द्वारा नामित एन॰जी॰ओ॰) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

IX. श्री जोगेन्द्र बिष्ट, अध्यक्ष–लोक चेतना मंच, रानीबाग, हल्द्वानी (शासन द्वारा नामित एन॰जी॰ओ॰) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

X. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा तथासदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

1. सर्वप्रथम अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किए जाने से पूर्व एड–हॉक कैम्पा, भारत

सरकार द्वारा उत्तराखण्ड भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य कैम्पा अभिकरण को अब तक अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 75738.90 लाख के सापेक्ष किए गए रू0 58821.52 लाख व्यय की अद्यतन स्थिति से संचालन समिति को अवगत कराया गया।

2. संचालन समिति द्वारा कैम्पा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्षतिपूरक वनीकरण की वृहद् समीक्षा की गई। संचालन समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में जारी अधिसूचना के कम में राज्य में एकत्रित धनराशि समय समय पर भारत सरकार के अन्तर्गत गठित तदर्थ कैम्पा को दिनांक 31–03–2017 तक विभिन्न मदों में कुल रू. 1923.56 करोड़ की धनराशि प्रेषित की गयी है। उक्त धनराशि में से क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू. 207.80 करोड़ की धनराशि निर्दिष्ट है। उक्त धनराशि के सापेक्ष 21384 है0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है, जिसके सापेक्ष अभी तक 13188 है0 वन भूमि पर विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। शेष 8196 है0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु एक चरणबद्ध पॉच वर्षीय योजना तैयार कर कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए अवशेष वृक्षारोपण कार्य को आगामी तीन वर्षों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

3. उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉक को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार 5 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित भी किया गया है :–

वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (है0 में)
2015–16	2253.47
2016–17	3029.00
2017–18	3029.00
2018–19	3029.00
2019–20	3029.07
कुल योग	**14369.54**

4. भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देशों के कम में उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उक्तानुसार वर्ष 2016–17 से 2019–20 के अवशेष लक्ष्यों को वर्ष 2018–19 के अंतर्गत ही पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से कियान्वयन अभिकरणों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

5. कार्यसूची संचालन समिति–12.1 : उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की सम्पन्न तृतीय बैठक के मुख्य बिन्दु:

(i) संचालन समिति को दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की तृतीय बैठक के संबंध में अवगत कराया गया। उक्त बैठक में शासी निकाय को कैम्पा के अंतर्गत सम्पन्न विभिन्न कार्यों, उनसे प्राप्त होने वाले स्थानीय जनमानस एवं पारिस्थितिकी को लाभ, स्थानीय जनमानस की सहभागिता तथा महिला सशक्तीकरण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। शासकीय निकाय को वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित कार्यों तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (CAF Act 2016) तथा क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रारूप नियमावली, 2017 (CAF Draft Rules, 2017) आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।

(ii) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक में निर्देश दिए गए कि कैम्पा की नयी अधिसूचना एवं नियमावली के आलोक में प्रदेश से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, जिनका उल्लेख CAF Draft Rules, 2017 में नहीं किया गया है अथवा जिन्हें नयी व्यवस्था में प्रतिबंधित किया गया है, को उत्तराखण्ड प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों/मानव–वन्यजीव संघर्ष के दृष्टिगत, कैम्पा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

(iii) उक्त के अतिरिक्त संचालन समिति को यह भी अवगत कराया गया कि शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वृक्षारोपण द्वारा नदियों के पुनरोद्धार, उत्तराखण्ड की लोक परम्पराओं (जैसे वन महोत्सव, हरेला आदि) के माध्यम से वन संरक्षण को बढ़ावा देने व आम जनमानस में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की चेतना के संचार तथा जल संचय संबंधी कार्यों (जलकुण्ड, कंटूर ट्रेन्च, चाल–खाल, सूख रहे पारम्परिक जल स्रोतों का संरक्षण, आदि) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों हेतु धनराशि का प्राविधान प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के अंतर्गत किया जाए।

6. कार्यसूची संचालन समिति–12.2 : **CAF Act 2016** एवं **CAF Draft Rules 2017** के संबंध में चर्चा।

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 अगस्त, 2016 को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Act 2016 की जारी अधिसूचना के

क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रारूप नियमावली CAF Draft Rules, 2017जारी की गई है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः—

- एन0पी0वी0 तथा पीनल एन0पी0वी0 के उपयोग के संबंध में नियमावली में प्राविधान किया गया है कि एन0पी0वी0 मद के न्यूनतम 80% के समतुल्य धनराशि का उपयोग वन एवं वन्यजीव प्रबंधन हेतु किया जाना है।
- शेष अधिकतम 20% धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वन एवं वन्यजीव सुदृढ़िकरण, अवस्थापना एवं क्षमता विकास कार्यों हेतु किया जाना है।
- कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि का न्यूनतम 70% धनराशि का उपयोग वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास हेतु किया जाएगा, जिसमें मूल रूप से क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान एवं वन्यजीव प्रबंध योजना की बढ़ी लागत की पूर्ति, समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों एवं विभाग के प्रचार प्रसार तथा स्वीकृत कार्ययोजना की अन्य गतिविधियों हेतु किया जाना सम्मिलित है। कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की शेष धनराशि की अधिकतम 30% धनराशि का उपयोग संचालन समिति के अनुमोदन उपरांत राज्य कैम्पा के प्रबंधन हेतु किया जाएगा।
- एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में निम्न के अंतर्गत किसी भी प्रकार के व्यय को प्रतिबंधित किया गया हैः—
  - वन विभाग के नियमित कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय हेतु।
  - किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा हेतु।
  - वाहनों के कय हेतु ।
  - आवासीय एवं कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु ।
  - कार्यालय एवं आवासों हेतु ए0सी0, फर्नीचर, कंप्यूटर, एवं अन्य कार्यालय संबंधी fixtures के कय हेतु।
  - वृक्षारोपण हेतु भूमि का कय।
  - वनों की स्वीकृत कार्ययोजनाओं के अनुसार राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से प्राकृतिक वनों के वाणिज्यिक कटान से खाली हुई भूमि पर अनिवार्य वृक्षारोपण हेतु।

- चिड़ियाघर की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़िकरण हेतु।

(ii) संचालन समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रारूप नियमावली CAF Draft Rules, 2017 को अंतिमीकृत किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्यों के प्रतिनिधियों के मध्य विगत में बैठकें आयोजित की गयी हैं, जिनमें राज्य सरकारों के सुझाव लिए गए हैं। इसके क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से Draft Rules में यथा आवश्यक संशोधन करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(iii) संचालन समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की तृतीय बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में भी मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड एवं मा0 मंत्री, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड के स्तर से मा0 केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को **क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रारूप नियमावली, 2017 (CAF Draft Rules, 2017)** में उत्तराखण्ड की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सुझावों के अनुरूप आवश्यक सशोधन किए जाने एवं निम्न मुख्य गतिविधियों को कैम्पा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं:–

- मृदा एवं जल संरक्षण कार्य
- भूस्खलन हेतु संवेदनशील वन क्षेत्रों का उपचार
- मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं निराकरण
- वानिकी एवं वन्यजीव विषयक शोध
- वन एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन
- ईको पर्यटन संबंधी गतिविधियां

(iv) संचालन समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं इस पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त उक्त के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी सम्मिलित किए जाने हेतु भारत सरकार को अनुरोध प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया :–

- कार्ययोजना / प्रबन्ध योजना तैयार करना।
- फील्ड स्तर पर वानिकी कार्यों के सम्पादन हेतु वाहन क्रय।
- अनुश्रवण एवं जी॰आई॰एस॰ / ई–ग्रीन वॉच में प्रविष्टि इत्यादि हेतु कम्प्यूटर व अन्य उपकरणों का क्रय।

(v) उक्त क्रम में संचालन समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जो गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण वानिकी कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं एवं CAF Draft Rule, 2017 में उल्लिखित नहीं हैं अथवा प्रतिबन्धित हैं, उन समस्त गतिविधियों को CAF Draft Rule, 2017 में सम्मिलित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को पुनः प्रेषित किया जाए। यह भी अपेक्षा की गई कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड तत्काल इस सबंध में भारत सरकार से संपर्क कर इसमें संशोधन किए जाने हेतु व्यक्तिगत प्रयास करें।

7. <u>कार्यसूची संचालन समिति 12.3: संचालन समिति की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन की स्थितिः</u>

समिति द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को संपन्न संचालन समिति की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

8- <u>कार्यसूची संचालन समिति 12.4:उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना प्रगति का विवरण।</u>

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना रु० 34680.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को रु० 12223.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई एवं रु० 10432.00 लाख की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई जो 85.34% (अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष) है।

9- <u>कार्यसूची संचालन समिति 12.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के संबंध में।</u>

<u>A.</u> (i) <u>कार्यसूची संख्या 12.5.1:</u> सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि राज्य कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की दिनांक 13 जुलाई 2017 को सम्पन्न 18वीं बैठक में उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना रु० 20000.00 लाख संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हुए स्वीकृति प्रदान की गई। अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 31.03.2017 को एडहॉक कैम्पा के पास उत्तराखण्ड का राज्यांश रु० 1923.56 करोड़ जमा है। अतः उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार राज्यांश का 10 प्रतिशत अर्थात् 192.35 करोड़ तक ही सीमित होना चाहिए। संचालन समिति द्वारा उक्त सुझाव के क्रम में एन0पी0वी0

के अंतर्गत रु० 7.65 करोड़ की धनराशि को कम करते हुए निम्नानुसार मुख्य घटकवार वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य 'विशिष्ट' कार्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
10779.96	1202.85	4070.03	1482.16	1700.00	**19235.00**

(ii) संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न मदों/गतिविधियों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

नोटः निम्न तालिका में विभिन्न मदों के सम्मुख अंकित भौतिक लक्ष्य–LS का विस्तृत विवरण तालिका के अंत में उल्लिखित है।

Uttarakhand CAMPA Proposed APO for year 2017-2018

Amount in Lakh Rs.

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
A	COMPENSATORY AFFORESTATION			
1	Advance Soil Work – CA	Ha	3514.02	1831.02
2	Plantation – CA	Ha	3226.51	1007.66
3	Nursery Maintenance – CA	No.	5512923	164.94
4	Plantation Maintenance – CA	Ha	8252.68	728.92
5	Nursery Raising – CA	No.	5515387	337.49
	Total In Compensatory Afforestation			**4070.03**
B	NET PRESENT VALUE (NPV)			
	Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			
1	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	No.	35	322.56
2	Boundary Pillars (New)	No.	1157	42.63
3	Construction of High Altitude Patrolling Shelter	No.	10	30.10
4	Development of Special Forest Protection Groups (SFPG) at Sensitive & High Altitude areas	No.	32	44.34
5	Fire Arms Purchase and Maintenance	No.	61	4.72
6	Forest Fire Management	LS*[1]	LS	435.52
7	Modernizing of Strategic Barrier	No.	23	58.00
8	Protection of alpine pastures (Bugyals) through Local Community participation	Ha	100	20.00

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
9	Purchase of Field Vehicles for Frontline Staff	No.	70	500.00
10	Renovation of Existing Building for Frontline Staff	No.	165	303.47
11	Repair and Maintenance of Bridle Paths/Forest Roads	Km	1889.9	877.59
13	Survey & Demarcation	Ha	1640	9.71
	Total in Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			**2648.64**
	Strengthening of Wildlife Management			
14	Anti Poaching related activities	LS*[2]	LS	142.24
15	Construction and Management of rescue / rehabilitation centers	No.	3	300.00
16	Creation and maintenance of water holes for wild animals	No.	141	64.35
17	Estimation of wildlife populations	-	-	35.00
18	Elephant Trench/ Power Fencing (km)	Km	300/67	800.00
19	High Altitude and Long Distance Patroling	No.	893	74.15
20	Lantana Removal	Ha	3145.49	166.42
21	Lantana Removal Maintenance	Ha	1094.5	59.30
22	Human Wildlife Conflict Resolution, Protection from wild animals (67.12 km)	Km	67.12	403.92
23	Strengthening of wildlife conservation reserve	LS*[3]	LS	455.00
24	Wildlife Veterinary Care / Postmortem Expenses	LS*[4]	LS	127.25
25	Contingencies in Wildlife	-	-	10.00
	Total in Strengthening of Wildlife Management			**2637.63**
	Soil And Water Conservation			
26	Contour Trenches	Ha	2614	254.04
27	Creation of water bodies	No.	318	278.28
28	Maintenance of existing water Holes	No.	164	59.18
29	Rejuvenation of Water Sources	No.	560	290.90
30	Soil & Water Conservation Measures	Ha	8746	733.87
31	River Front Development	Ha	300	100.00
	Total in Soil And Water Conservation			**1716.27**
	Plantations under NPV			
32	Assisted Natural Regeneration (ANR) ha	Ha	800	200.00
33	Advance Soil Works - Oak Plantation	Ha	610	305.63

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
34	Advance Soil Works - Deodar Plantation	Ha	390	197.29
35	Maintenance - Deodar Plantation	Ha	476.95	48.74
36	Maintenance - Oak Plantation	Ha	1031.21	83.46
37	Maintenance of Deodar Nursery	No.	463915	10.40
38	Maintenance of Oak Nursery	No.	944896	19.60
39	Model Plantation	Ha	101	23.28
40	Nursery Raising - Deodar Plants	No.	391800	27.51
41	Nursery Raising - Oak Plants	No.	422300	26.62
42	Other Plantations under NPV	Ha	65	9.27
43	City Plantations	No.	-	-
44	Plantation - Deodar Plantation	Ha	10	0.70
45	Plantation - Oak Plantation	Ha	10	4.00
46	Plantation as per working plan prescriptions	Ha	161	20.29
47	Community Plantations, Mobilization (Harela, Van Mahotsava)	No.	400000 Plants	200.00
48	Raising of Wild Fruit Plants in Middle altitude and Mehal top working.	No.	400000 Plants	200.00
	Total in Plantation under NPV			**1376.79**
	Strengthening of Van Panchayats			
	Strengthening Van Panchayat			
49	A.N.R.	Ha	100	12.24
50	Fire Protection Activities in VP's	No.	35	2.80
51	Soil & Water Conservation Works in VP	Ha	818	133.75
	Total in Strengthening Van Panchayat			**148.79**
	Pasture Development in VP's			
52	Advance Soil Work for Pasture Development	Ha	870	426.95
53	Pasture Development Maintenance in VP's	Ha	1061.07	104.41
54	Plantation of Pasture Developments	Ha	46	4.44
	Total in Pasture Development in VP's			**535.80**
	Miscellaneous Works in VP's			
55	Preparation of Micro Plans in VP	No.	600	48.00
56	Contingencies under Van Panchayats	-	-	15.00
	Total in Miscellaneous Works in VP's		**600**	**63.00**
	Plantation in VP's			
57	Advance Soil Work for VP Plantation	Ha	619	323.85
58	Maintenance of Plantations in VP's	Ha	214	20.35
59	Plantation - Van Panchayat	Ha	10	3.86

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
	Total in Plantation in VP's			**348.06**
	Total in Strengthening of Van Panchayats			**1095.65**
	Allied Activities			
60	ASW for Bamboo , Ringal and other natural grasses	Ha	150	77.23
61	Bamboo Nursery and Bambusetum and their maintenance	No.	100000	5.26
62	Creation and maintenance of herbal garden, Development of Medicinal Plants	No.	6	100.00
63	High Tech. Equip. for Enhanancement of Enforcement	No.	11	52.00
64	Arrangement of Field Support Equipment's to facilitate front line staff	No.	6000	200.00
65	Hiring of vehicle	No.	12	30.54
66	Non-Conventional and Renewable Energy (Solar/Wind etc.)	No.	7	50.00
67	Provisioning of Biodiversity Conservation	LS*[5]	LS	5.00
68	Revision of working plans and wildlife management plans	No.	12	70.50
69	Strengthening of clusters of Bamboo,Ringal, Natural Fibre and grasses	No.	72	104.54
70	Contingencies for different Core Activities (Unforeseen Expenses in different Forest Divisions)	No.	30	322.57
71	Support to Project Management Unit (PMU)	LS*[6]	LS	12.59
72	Operational Expenses (upto 2%)	-	-	106.58
73	Staff Support Fund	-	-	112.00
	Total in Allied Activities			**1248.81**
	Monitoring and Evaluation			
74	Monitoring And Evaluation	LS*[7]	LS	200.00
	Total in Monitoring and Evaluation			**200.00**
TOTAL IN CORE ACTIVITIES (minimum of 70%)				**10923.79**
				91.16%
75	Action Research	LS*[8]	LS	50.00
76	Modern seed storage facility for important nurseries	No.	22	180.36
77	Collaborative Research	No.	7	46.01

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
78	Demonstration plots & trials of need based initiatives	No.	39	59.43
79	Development of nursery techniques	No.	10	11.50
80	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	No.	6	7.50
81	Strengthening of Research Cell & Upgradation of laboratory	No.	2	24.70
TOTAL IN FORESTRY RESEARCH (upto 5%)				**379.50**
				3.16%
82	Information and Communication Technology	LS*[9]	LS	83.50
83	Training workshops and capacity building	No.	1035	100.00
84	Strengthning of training institutes	No.	5	122.00
85	Extension and Awareness Programes / Exposure Visits	No.	20	10.00
86	Publication and Training Material in VP's	-	-	10.00
87	Workshops and Training in VP's	No.	100	87.20
88	Printing / Publicity / Extension and Awareness	No.	122	76.54
TOTAL IN COMMUNICATION /ICT AND CAPACITY BUILDING (upto 10%)				**489.24**
				4.08%
89	Maintenance of Forest Rest Houses	No.	25	100.00
90	Eco-Tourism related activities	No.	3	90.28
TOTAL IN OTHER ACTIVITIES				**190.28**
				1.58%
Total in NET PRESENT VALUE				**11982.81**
C	**CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN**			
1	CAT Tapovan –Vishnugad	• ASW – 147.33 ha • Plantation–411.55 ha • Nurs. /Maint–2670000 No. • Check Dams –1391 No. • Water bodies–4539No. • Cont. Trenches -490ha and other activities incl. eco-services, livelihood related activities		331.15
2	CAT Lata –Tapovan			110.99
3	CAT Singoli-Bhatwari			103.63
4	CAT Phatta-Byung			92.24
5	CAT Srinagar H.EP			268.86
6	CAT Vyasi H.EP			122.97
7	CAT Lakhwar H.EP			354.53
8	CAT Vishnugad Peepalkoti H.EP			205.00
9	CAT Byundar Ganga H.EP			0.00
10	CAT PMU			110.63

S. No.	ACTIVITY	Unit	APO 2017-18	
			Phy	Fin
	Total in C.A.T.			**1700.00**
D	**Other Specified Activities**			
	Road Side Plantation			
1	Advance Soil Work for Road Side Plantation	Row Km	117	92.48
2	Maintenance - Road Side Plantation	Row Km	5614.67	58.62
3	Maintenance of Nursery for Road Side Plantation	No.	571242	18.81
4	Nursery Raising for Road Side Plantation	No.	65000	4.39
5	Plantation - Road Side Plantation	Row Km	21	4.83
	Total in Road Side Plantation			**179.13**
	Gapfilling Plantation			
6	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	Ha	240	119.98
7	Maintenance - Gap Filling Plantation	Ha	781.74	65.39
8	Maintenance of Nursery for Gap Filling Plantation	No.	309166	12.61
	Total in Gapfilling Plantation			**197.98**
	Dwarf Species Plantation			
9	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	Ha	50	27.00
10	Dwarf Species Plantation	Ha	0	0
11	Maintenance - Dwarf Species Plantation	Ha	89	8.23
12	Maintenance of Nursery for Dwarf Dpecies Plantation	No.	236633	7.12
13	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation	No.	50000	3.50
	Total in Dwarf Species Plantation			**45.85**
	Muck Disposal			
14	Muck Disposal Related Works	LS	LS	109.2
	Total in Muck Disposal			**109.2**
	Work against Collection of minor Minerals			
15	River Training Works	LS	LS	950
	Total in Work against Collection of minor Minerals		0	950
	Total in Other Specified Activity			**1482.16**
	GRAND TOTAL			**19235.00**

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विभिन्न मदों (जिनमें भौतिक लक्ष्यों का उल्लेख नहीं है) में, भौतिक लक्ष्यों का विवरणः

B-6*[1]Forest Fire Management :-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Maintenance of Fire Lines (Km)	2206.09	62.53
2	No. of Fire Watchers (No.)	1167	253.63
3	Hiring of Vehicles	53	59.64
4	Fire Management and Mitigation Measures	-	59.72
	Total	-	**435.52**

B-14*[2]Anti Poaching Related Activities:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Hiring of Personnel for Watch and Ward	175	12.24
2	High altitude Anti-poaching Hut in Gangotri National Park	1	15.00
3	Other Anti-poaching related activities including Secret Fund for Establishment of Intelligence Network, Dog Squad etc. (No. of Divisions)	19	115.00
	Total		**142.24**

B-23*[3]Strengthening of Wildlife Conservation Reserves:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Deployment of Protection Guards at Corbett Tiger Reserve	100	40.00
2	Maintenance of Patrolling Pathways within Corbett Tiger Reserve including Kalagarh Tiger Rerserve and Lansdowne Forest Division (Km)	300	225.00
3	Wildlife Conservation related activities in CS Almora, Kedarnath	-	150.00
4	Procurement of Elephants from Karnataka (Nos)	6	20.00
5	Wildlife Week	-	20.00
	Total		**455.00**

B-24*[4]Wildlife Veterinary care/Postmortem expenses:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Expenditure in case of exigencies of damage / casualties of wild animals and includes veterinary treatment of injured/ill wild animals and other postmortem expenses in cases of death.	Incident based	117.25
	Total		**117.25**

B-67*[5]Provisioning for Biodiversity Conservation:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Maintenance of Biodiversity Registers and Training of Village Level Biodiversity Management Committees (No. of Divisions)	4	5.00
	Total		**5.00**

B-71*[6]Support to Project Management Unit (PMU):-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)

1	Payment of Wages to Consultants in CAT plans at PMU level.	2	8.59
2	Operational Expenses (No. of PMU)	4	4.00
	Total		**12.59**

B-74*[7]Monitoring and Evaluation:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Provision of upto 2% of APO for Monitoring and Evaluation as per CAMPA guidelines, for Forest Research Institute, Dehradun and Monitoring wing of Uttarakhand Forest Department.	-	200.00
	Total		**200.00**

B-75*[8]Action Research:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	For funding unique and innovative short term action oriented research projects and studies as per the decision of the 3rd Governing Body meeting of Uttarakhand CAMPA	-	50.00
	Total		**50.00**

B-82*[9]Information and Communication Technology:-

S. No.	Particular	Phy	Fin (Lakh Rs.)
1	Strengthening of IT cell of forest department including expenditure on website management, security audit, ICT enabling of forest divisions etc.	-	83.50
	Total		**83.50**

संचालन समिति के समक्ष वर्ष 2017–18 हेतु उक्तानुसार विभिन्न मदों में प्रस्तुत रू0 19235.00 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त संचालन समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गयाः–

(a) **वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष विलम्ब से धनराशि प्राप्त होने के कारण अवशेष/अपूर्ण रह गई गतिविधियों को चालू वर्ष में पूर्ण किया जाना**

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के स्वीकृत कार्यमदों के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण रह गए कार्यों को वर्ष 2016–17 में एड–हॉक कैम्पा से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इसका पूर्ण उपयोग वर्ष 2016–17 के वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका। अतः वर्ष 2016–17 की स्वीकृत अवशेष धनराशि को वर्ष 2017–18 में उन्हीं कार्यों के सम्पादन हेतु पुनर्वैध किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु इन्हें

गत वर्ष स्वीकृत किया गया था। अतः वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत अवशेष गतिविधियों का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य 'विशिष्ट' कार्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
6353.15	660.35	303.06	3339.94	1343.50	**12000.00**

(b) **वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष रू0 23.57 करोड धनराशि की मांग**

(i) सदस्यगणों को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार से निम्नानुसार **रू0 23.57 करोड़** की धनराशि प्राप्त होनी शेष है। अतः चालू वित्तीय वर्ष की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त, गत वर्ष की अवशेष रू0 23.57 करोड़ की धनराशि भी भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त होनी अपेक्षित है। संचालन समिति द्वारा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली इस अवशेष धनराशि को भी विगत वर्ष की स्वीकृत कार्ययाजना के अवशेष कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। भारत सरकार से अनुमन्य अवशेष उक्त धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

कम संख्या	विवरण	धनराशि (करोड़ रू0)
1	वर्ष 2016–17 में कुल जमा राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि	173.00
2	भारत सरकार से वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के सापेक्ष प्राप्त धनराशि	149.23
3	वर्ष 2016–17 में प्राप्त वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की अवशेष धनराशि	21.28
4	**वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि (कॉलम संख्या 1 – कॉलम संख्या 2)**	**23.57**

(ii) उपरोक्त बिन्दु संख्या 12.5.1 (क) एवं 12.5.1 (ख) के अनुसार वर्ष 2016–17 की स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण कार्यों को वर्ष 2017–18 में पूर्ण

किए जाने के दृष्टिगत रू0 12000.00 लाख की धनराशि एवं विगत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार से अप्राप्त रू0 2357.00 लाख की धनराशि सहित कुल रू0 14357.00 लाख की धनराशि को वर्ष 2017–18 के लिए पुनर्वैध किए जाने हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(iii) इस प्रकार वर्ष 2017–18 के अंतर्गत संचालन समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :–

कम संख्या	विवरण	धनराशि (लाख रू0)
1.	वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना	19235.00
2	**वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत अप्राप्त धनराशि की मांग एवं अवशेष कार्यों को पुनवैध किया जाना**	
(क)	वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण रह गई गतिविधियों को वर्ष 2017–18 में पूर्ण किए जाने हेतु पुनर्वैध की अनुमति	12000.00
(ख)	वर्ष 2016–17 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार से अप्राप्त धनराशि की मांग का अनुमोदन	2357.00
	योग	33592.00

उपरोक्तानुसार संचालन समिति द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु कुल रू. 33592.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।

B. कार्यसूची संख्या 12.5.2: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त विभिन्न जोनल स्तरों से प्राप्त कार्ययोजनाओं के इतर, वी0आई0पी0 संदर्भ सहित विभिन्न कार्यों हेतु अनेक प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुए/होते हैं। इस सम्बन्ध में संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वी0आई0पी0 संदर्भ से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को संबंधित वन प्रभागों को निम्न बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण/कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित किया जाए:–

a) प्रस्ताव सम्बन्धित वन प्रभाग की कार्ययोजना/प्रबंध योजना से आच्छादित हो।
b) कैम्पा के निर्धारित मानकों व CAF Act 2016 में निहित प्राविधानों के अनुरूप हो।
c) प्रस्ताव हेतु अपेक्षित धनराशि प्रभाग/जोन को आवंटित धनराशि के सुसंगत मदों के अनुरूप हो।

d) तद्नुसार औचित्यपूर्ण प्रस्तावों को उचित माध्यम से संचालन समिति के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाए।

e) ऐसे प्रस्तावों हेतु राज्य सरकार को अन्य सुसंगत मदों के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने के विकल्प का भी परीक्षण अवश्य कर लिया जाए व विभाग के आयोजनागत बजट में शासन से धनराशि की मांग की जाय।

f) सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही कोई भी कार्य संपादित किया जाए अथवा इसकी देयता का उत्तरदायित्व कार्य कराने वाले संबंधित अधिकारी का होगा। यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये गये बिना कार्य सम्पादित किया जाता है तो ऐसे कार्यो की देयता का दायित्व कैम्पा प्राधिकरण का नहीं होगा।

10- **कार्यसूची संचालन समिति 12.6:वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना के अंतर्गत वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि :–**

समिति को अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 के अंतर्गत वचनबद्ध एवं समयबद्ध गतिविधियों जैसे–क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैट प्लान के अंतर्गत वृक्षारोपण, मृदा/वर्षा जल संरक्षण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदन से वर्तमान तक विभिन्न वन प्रभागों व कार्यान्वयन अभिकरणों को रू0 1496.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। समिति को अवगत कराया गया कि उक्त मदों हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि वर्ष 2017–18 की अनुमोदित कार्ययोजना के सुसंगत मदों में सम्मिलित है। समिति द्वारा उपरोक्तानुसार अववमुक्त की गयी धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।

11- **कार्यसूची संचालन समिति 12.7: एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 15–2(0)/2017–CAMPA दिनांक 21 फरवरी, 2017 में चाही गई 12 बिन्दुओं की सूचना वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करने के संबंध में :–**

समिति द्वारा एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार की पत्र संख्या 15–2(0)/2017–CAMPA दिनांक 21 फरवरी, 2017 में चाही गई 12 बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार अनुमोदित की गई :–

1. Breakup of the outlay in the Annual Plan of Operation for 2017-18 in the given format	Annual Plan for Operation given in the agenda item 12.5.1 has been prepared in the suggested format.
2. Whether the provision for	

Compensatory Afforestation in line with the 5 Year action plan Further:

Yes, the 5-year action plan has been adhered to the utmost care. The plantations are being carried out as per the action plan.

(a) Please add, as Annexure a copy of the 5 year action plan together with date of its approval by the State level Steering Committee;

(b) Please indicate whether, beginning from the year 2014-15, there has been any departure from the provisions in the 5 year action plan- either in physical or financial terms and if so, please indicate the year, and extent of departure ;

(a) The 5 year action plan for clearing the backlog of CA was approved by the Steering Committee in its 11th meeting dated 26 August, 2016 (as per enclosure-5).

(b) The 5 Year action plan for CA was prepared in 2015-16 after the plantation season for the year was over with an achievement of 1245 ha against the targeted 1432 ha. The figures reflecting in the 5 year action plan for 2015-16, is the additional advance work for the 2016-17 plantations against which an achievement of 2886.40 ha has been made. The plantations in the following years are being done as per 5 year action plan. Any apparent shortfall shall be met up in the remaining years of the 5 year action plan.

(c) Please indicate, year – wise the CA undertaken during the year 2012-13 onwards, in the following table

(c) The information in prescribed format has been sent to Ad-hoc CAMPA vide this office letter no. 237/2017-18 dated 17 July, 2017. A brief account of the same is as given under:

YEAR	Target of ASW as per 5 year Action Plan (ha)	Actual ASW allotted during the Year (ha)	Physical Target (in ha)	
			CA Plantation Target allotted in the year	Achievement
2012-13			715.38	438.77
2013-14			3080.84	2696.25
2014-15			2078.00	2077.91
2015-16	2253	3759.14	1432.90	1245.24
2016-17	3029	3651.61	3032.00	2886.44
2017-18	3029	3514.02	3226.51	under progress
TOTAL			**13688.64**	**9344.61**

3. (a) Whether the benchmark of 70% expenditure has achieved

(b) Please indicate the unspent balance as on 31.03.2017, and its proportion to the size of the Annual Plan of Operation

(a) Yes, the benchmark of the 70% expenditure has been achieved. Against the total receipts of 75738.90 lakhs from Ad-hoc CAMPA an expenditure of Rs. 58821.52 lakh has been incurred upto the year 2016-17. This is 78% against the total receipts from Ad-hoc CAMPA so far.

(b) The balance with Uttarakhand CAMPA as on 31 March,

	2017 is Rs. **16917.38 Lakh.**
4. Dates on which Quarterly progress Reports have been sent to the Ad-hoc CAMPA in the year 2016-17. In case of delays, Please mention reasons	1. Quarter-1 (Apr-Jun) 2016 – 10.10.2016 2. Quarter-2 (July-Sept) 2016 – 08.11.2016 3. Quarter-3 (Oct-Dec) 2016 – 13.01.2017 4. Quarter-4 (Jan-Mar) 2017 – 20-07-2016 The delay in 1st Quarter Report is attributed to the delay in finalization and approval of the APO 2016-17 by the Steering Committee in its 11th meeting dated 26 August, 2016. While the 2nd and 3rd Quarter reports were sent in a timely manner, the last quarter report has been delayed due to delay in reporting of the progress of implemented activities from the field for releases made during the month of March 2017, in particular. Further, to maintain the continuity of the quarterly reports which are to be sent in a timely manner, the first quarter report of the current year, i.e. April-June 2017, has been sent on 20th July, 2017 itself.
5. Whether project wise and component wise details of all remittances made to the State accounts maintained by the Ad-hoc CAMPA have been furnished, and reconciled with the Ad-hoc CAMPA. If not, the reasons thereof, together with the details of (a) funds claimed to be remitted by the state but not reflected in the Ad-hoc CAMPA accounts; and (b) funds appearing in the State CAMPA account but not identified by the State.	Yes the project wise and component wise details of all remittances made to the State accounts maintained by Ad-hoc CAMPA have been furnished and reconciled with Ad-hoc CAMPA vide the letter no. 3182/18—4—1—2 dated 21.03.2017 of the Nodal Officer, Uttarakhand. The matter of unclaimed and unidentified remittances has also been intimated in the above referred letter at point no. 3 where UTR nos. of all such cases are requested to be obtained from the concerned bank at the level of Ad-hoc CAMPA.
6. Whether accounts of the State CAMPA have been prepared in the double entry format, whether their internal audit has been undertaken through a Chartered Accountant empanelled with the state AG, and whether the Auditors' report has been forwarded to the State AG. The year up to which the process has been undertaken, completed may be stated, with the reasons for the backlog, if any. in cases of observations of External	Uttarakhand CAMPA accounts are maintained in Double Entry System. The Internal Audit by CAG empanelled Chartered Accountant has been completed till FY 2013-14. Audit Cell of Uttarakhand Forest Department is executing the Internal Audit work of 2014-15 & 2015-16. The Balance Sheet as on 31.03.2016 of Uttarakhand CAMPA has been audited by CAG empanelled Chartered Accountant and approved by the Executive Committee.

Auditors/AG in their Audit Report, Please also attach the para wise response of the State Government in respect of these observations.	
7. Performance on relation to E-Green Watch, with detailed reasons for the inaccurate and unascertainable polygons. Please also state whether. (a) Scrutiny at the State hqrs level is undertaken before the polygons are loaded on the E-Green Watch state and (b) the response time for the queries raised by the Forest Survey of India in respect of incorrect and unascertainable polygons (c) Whether replies have been sent to Ad-hoc CAMPA letters dated 30th May 2016; 16th September 2016 and 20th February 2017.	Anomalies related to entries in the E-Green Watch portal from the State of Uttarakhand, have been studied in relation to the report of the Forest Survey of India (FSI). It has been observed that the unascertainable polygons entries are mostly related to assets category, that can not be monitored using satellite. This has been done due to the lack of technical understanding and missing training part. There is an urgent need of refresher training for the field staff making the entries at the level of forest divisions. Additionally, the matter of removal of such unascertainable polygons was discussed with concerned official of FSI. It was informed that entries cannot be deleted at the level of FSI. NIC officials shall be contacted for deletion of the unascertainable entries. (a) Divisions with the reported anomalies have been repeatedly reminded for taking up due corrections at their level. To address the queries raised by FSI, **the E-green Watch portal cell, for the State of Uttarakhand, has been established at the State CAMPA office itself.** (b) Training of the field staff is being planned to speed up the process of error free entries.The concerned forest divisions are being asked to send their representatives at the E-green Watch cell along with correct information for rectification of faulty polygons at a speedy level. (c) In response to the cited letters of the Ad-hoc CAMPA, letters have been issued to the Nodal Officer, Uttarakhand and all the concerned forest divisions for taking up due action for corrections of the incorrect polygons. An updated account of the progress in this connection shall be intimated to the Ad-hoc CAMPA after replies to the above correspondence is received at State CAMPA authority.
8. Status of Third party monitoring of CAMPA projects. In case 3rd party monitoring reports have become available, whether copies have been provided to the Ad-hoc CAMPA Whether state Govt's Comments on the observations have been sent to Ad-hoc CAMPA.	As per the decision of the Steering Committee in its 11th Meeting dated 26 August, 2016, the third party monitoring work of Uttarakhand CAMPA has been given to Forest Research Institute (FRI), Dehradun. First installment has already been released to FRI for monitoring works.

In case 3rd Party monitoring has not been completed, the reasons there for.	
9. Whether the revised replies to the C&AG Report have been finally accepted in case of queries whether these have been answered.	Reply to C&AG Report has been already submitted and accepted and no further query is pending on date.
10. Whether the composition of the Steering committee is in terms of the prescriptions laid down in the State CAMPA Guidelines, and whether the departures are well accented for. Please state whether the NGO members are present in the meeting of the Steering Committee.	Yes, the present composition of the Steering Committee is in terms of the prescriptions laid down in the State CAMPA guidelines. Apart from the Govt. members, two NGOs (M/s Himalayan Action Research Center, Dehradun and Lok Chetna Manch, Haldwani) are nominated members of the Steering Committee. Invitation has been sent to all the members of the committee including the NGO members for participation in the 12th Meeting.
11. Whether the data sought in relation to all diversion cases since the year 1980 have been furnished;	Data related to all diversion cases since 1980 has been furnished to GoI vide letter no. 298/1–G–2366dated 26–07–2017from theNodal Officer, Uttarakhand.
12. The total no of credits to the State CAMPA account since 15.10.2015, and the number which have been undertaken otherwise than through the e.portal. Steps laken to ensure that all credits are made only through the e.portal.	The credits into the Uttarakhand State account maintained by Ad-hoc CAMPA are being made only through the medium of E-portal since June, 2016.

12- **कार्यसूची संचालन समिति 12.8: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रबन्धन हेतु बजट के सम्बन्ध में :–**

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से कैम्पा प्रबन्धन हेतु विभिन्न मदों में वर्ष 2016–17 हेतु रु॰ 525.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई थी, जिसके सापेक्ष रु॰ 331.50 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

(ii) संचालन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के सुचारू प्रबन्धन/संचालन के लिए, कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रस्तुत रु॰ 303.60 लाख के बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) उक्त के अतिरिक्त समिति के संज्ञान में लाया गया कि फील्ड में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वनाधिकारियों के प्रयोगार्थ वाहन क्रय करने हेतु आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि के अंतर्गत रु॰ 250.00 लाख की धनराशि का मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, संचालन समिति से वर्ष 2016–17 में अनुमोदन प्राप्त किया गया था। कय नियमों में परिवर्तन के कारण उक्त का उपयोग तत्समय नहीं किया जा सका था। संचालन समिति द्वारा उक्त को पुनर्वैध किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

13- <u>कार्यसूची संचालन समिति 12.9: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट एवं वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की बैलेंस शीट का अनुमोदन।</u>

(i) संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 व वित्तीय वर्ष 2016–17 की बैलेंस शीट को अनुमोदित किया गया।

14- <u>कार्यसूची संचालन समिति 12.10: अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य बिन्दु :–</u>

(i) **मानव वन्य जीव संघर्ष के अंतर्गत अनुग्रह धनराशिः** मानव वन्यजीव संघर्ष के फलस्वरूप हुई क्षति (मानव, पशु, भवन व फसल क्षति) की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह धनराशि के रूप में रू0 400.00 लाख की धनराशि की मांग वर्ष 2017–18 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड के स्तर से की गई है। इस मद में विभाग की ओर से भारी देयता के विषय में उनके द्वारा समिति को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के स्तर पर इस विषय पर समय–समय पर हुई चर्चाओं में भारत सरकार द्वारा इसे आवर्ती प्रकृति का व्यय माना गया है व यह मत व्यक्त किया गया है कि उचित होगा कि इस प्रकार के व्ययों को राज्य सरकार अपने स्तर से वहन करें। अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्य जीव संघर्ष के अंतर्गत अनुगृह राशि का भुगतान कैम्पा निधि से किया जाना उचित नहीं होगा। समिति द्वारा उक्त विषय पर निर्णय लिया गया कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अनुगृह धनराशि का प्राविधान कार्ययोजना में नहीं किया जाय। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि मानव–वन्यजीव संघर्ष हेतु दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि हेतु योजनागत बजट के सुसंगत मद में प्राविधान किया जाय। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गये कि इस विषय को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर, उत्तराखण्ड राज्य की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत इसमें छूट देने हेतु अनुरोध किया जाए।

(ii) श्री महेन्द्र कुंवर, अध्यक्ष–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (HARC) द्वारा कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजनाओं में Stream Rejuvenation Program को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। सदस्यगणों द्वारा उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य व परिवेश को देखते हुए वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण तथा वनों के प्रति जन सहभागिता बढ़ाने के दृष्टिगत छोटे–छोटे आवश्यकता आधारित शोध प्रस्तावों को कैम्पा के अंतर्गत कराए जाने पर भी बल दिया गया। HARC द्वारा पर्वतीय परिदृश्य में जल स्रोतों के पुनरोद्धार कार्य एवं रखरखाव के दृष्टिगत अभिनव प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई गई। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम को Need Based Research मद के Action Research उपमद में सम्मिलित किया जाए।

(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुश्री उमा भारती, मा0 मंत्री जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार के मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड को संबोधित पत्र जो SMI (Sediment Management of Indian Rivers) स्कीम के अंतर्गत अवशेष वृक्षारोपण एवं भूमिगत जल पुनरोद्धार कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु कैम्पा निधि के एन0पी0वी0 मद में धनराशि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है, को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।संचालन समिति इस संबंध में चर्चा उपरांत इस निश्कर्ष पर पहुँची कि कैम्पा के वर्तमान नियमों के अनुसार उक्त व्यय का प्राविधान कैम्पा के वर्तमान नियमों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः इस संबंध में अवगत कराते हुए मा0 मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए कि उक्त गतिविधि को कैम्पा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु, कैम्पा नियमों में आवश्यक सशोधन के दृष्टिगत,अपने स्तर से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही उत्तराखण्ड के परिपेक्ष में कैम्पा के नियमों में अन्य बिन्दुओं के संशोधन के संबंध में भी मा0 मंत्री महोदया से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध की अपेक्षा की जाए।

(iv) **संचालन समिति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST)** की नई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के सदस्यों द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई कि इसके लागू होने से कैम्पा के अंतर्गत कतिपय बिन्दुओं पर व्ययभार अधिक होगा। समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि इस विषय में भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। साथ ही जिन मदों में अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है उसका आंकलन कर भारत सरकार से तद्नुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाए अथवा भौतिक लक्ष्यों में अनुपातिक कटौती कर दी जाए।

15- अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही/अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए :–

a) क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रारूप नियमावली (CAF Draft Rules), 2017 में उत्तराखण्ड की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सशोधन किए जाने हेतु पुनः भारत सरकार को

अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए तथा तत्काल इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी भारत सरकार के समक्ष इन महत्वपूर्ण पहलुओं को निरन्तर रखा जाए।

b) कार्ययोजनाओं के कियान्वयन में यथा प्रचलित कैम्पा अधिनियम, गाईडलाइन्स, उत्तराखण्ड कैम्पा अधिसूचना तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

c) CAF Act, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों तथा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं एवं तद्नुसार अपेक्षित कार्य संपादित किए जाएं।

d) क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) का कार्य एक स्थलीय विशिष्ट कार्य है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति में उल्लिखित स्थल पर ही किया जाय। यदि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्थल के इतर किसी अन्य स्थल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। इसके अंतर्गत अवशेष बैकलॉग को यथासंभव शीघ्रता से तथा गुणवत्तापरक रूप से पूर्ण किया जाए।

e) ई–ग्रीन वॉच में कियान्वयन इकाईयों द्वारा की जा रही प्रविष्टियों में तीव्रता एवं गुणवत्ता लाए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

f) विभिन्न कियान्वयन इकाईयों द्वारा कैम्पा के अंतर्गत कराए जाने वाले वानिकी एवं निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां उत्तराखण्ड वन विभाग एवं शासन के प्रचलित नियमों के अनुरूप ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जाएंगी। कैम्पा कार्यालय द्वारा फील्ड में सम्पादित कराये जा रहे कार्यों हेतु स्वीकृतियां निर्गत नहीं की जायेगी।

g) कैम्पा योजना के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त होने की स्थिति में ही कार्य कराए जाएं। स्वीकृति अथवा बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न कराया जाए अन्यथा उसकी देयता का उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड राज्य कैम्पा प्राधिकरण का नहीं होगा।

h) कार्यों के निष्पादन में कठोर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जाए व स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही कार्य संपादित कराए जाएं। स्वीकृत भौतिक लक्ष्यों में किसी प्रकार से परिवर्तन न किया जाए। स्वीकृत मदों में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। यदि विशेष परिस्थिति में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उसकी सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य संपादित किए जाएं।

i) वित्तीय नियमों की अवहेलना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए तथा ऐसे प्रकरणों को अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग तथा शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(एस॰ रामास्वामी)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मुख्यालय, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077 ई-मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in
Website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 324 /13-2(12)/2017-18 दिनांक, देहरादून, 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वित्त मंत्री जी एवं सदस्य-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा. नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य-शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

28/8

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:-324 (1)/13-2(12)/2017-18 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव-नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव-वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय-देहरादून।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।

28/8

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:-324 (2)/13-2(12)/2017-18 दिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।

28/8

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा